

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 01 अक्टूबर, 2019

संख्या: 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-13617/श्री तनय सुल्तानिया, भा0प्र0से0 (बी एच :2017) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी होने के उपरान्त) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री तनय सुल्तानिया को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने की शक्तियाँ उन्हें प्रदान की जाती है।

संख्या: 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-13618/श्रीमती अभिलाषा शर्मा, भा0प्र0से0 (बी एच :2017) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी होने के उपरान्त) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, छपरा सदर, छपरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्रीमती अभिलाषा शर्मा को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने की शक्तियाँ उन्हें प्रदान की जाती है।

संख्या: 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-13619/श्री तरनजोत सिंह, भा0प्र0से0 (बी एच :2017) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी होने के उपरान्त) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री तरनजोत सिंह को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने की शक्तियाँ उन्हें प्रदान की जाती है।

संख्या: 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-13620/श्री आरिफ अहसन, भा0प्र0से0 (बी एच :2017) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी होने के उपरान्त) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, शिवहर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री आरिफ अहसन को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने की शक्तियाँ उन्हें प्रदान की जाती है।

संख्या: 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-13621/श्री विवेक रंजन मैत्रेय, भा0प्र0से0 (बी एच :2017) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी होने के उपरान्त) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, हिलसा, नालन्दा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री विवेक रंजन मैत्रेय को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने की शक्तियाँ उन्हें प्रदान की जाती है।

संख्या: 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-13622/श्री कुमार गौरव, भा0प्र0से0 (बी एच :2017) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी होने के उपरान्त) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री कुमार गौरव को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने की शक्तियाँ उन्हें प्रदान की जाती है।

संख्या: 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-13623/श्री योगेश कुमार सागर, भा0प्र0से0 (बी एच :2017) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी होने के उपरान्त) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, फारविसगंज, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री योगेश कुमार सागर को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने की शक्तियाँ उन्हें प्रदान की जाती है।

संख्या: 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-13624/श्री विशाल राज, भा0प्र0से0 (बी एच :2017) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी होने के उपरान्त) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बगहा, पश्चिमी चम्पारण के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री विशाल राज को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने की शक्तियाँ उन्हें प्रदान की जाती है।

संख्या: 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-13625/श्री अनिल कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच :2017) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी होने के उपरान्त) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बखरी, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री अनिल कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने की शक्तियाँ उन्हें प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


1.10.19

(कन्हैया लाल साह)


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-संख्या: 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0- 13625/पटना-15,दिनांक: 01 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/ संबंधित सभी पदाधिकारी/संबंधित सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित सभी जिला पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 06 एवं 12 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपर्युक्त सभी पदाधिकारी अनुमान्य पारगमनकाल का उपभोग किये बिना संबंधित पदस्थापन का प्रभार ग्रहण करेंगे।

3. अनुमण्डल पदाधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद, अनुमण्डल पदाधिकारी, शिवहर और अनुमण्डल पदाधिकारी, बखरी, बेगूसराय से स्थानांतरित बि0प्र0से0 के पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहेंगे।


1.10.19

सरकार के अवर सचिव।